



**State Environment Impact Assessment Authority, M.P.**  
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

**Environmental Planning & Coordination Organization**

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : [mpseiaa@gmail.com](mailto:mpseiaa@gmail.com)

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 23/7 /SEIAA/22

Date: 14/12/22

प्रति,

मेसर्स शर्मा एसोसिएट,  
पार्टनर श्री दिनेश सेन,  
आत्मज श्री हल्के प्रसाद सेन  
निवासी देवरी, तहसील तेन्दूखेड़ा,  
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

**विषय:** प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/294179/2022 - प्रकरण क्रमांक 7863/2020 - पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स के.पी. भदौरिया कॉन्ट्रैक्टर, ई-46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.), रेत खदान (ओपनकॉस्ट मैनुअल विधि), रकबा 7.0 हे., उत्पादन क्षमता 37,800 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 54, ग्राम मुसामुण्डी, तहसील बजाग, जिला डिण्डोरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शर्मा एसोसिएट, पार्टनर श्री दिनेश सेन आत्मज श्री हल्के प्रसाद सेन निवासी देवरी, तहसील तेन्दूखेड़ा जिला नरसिंहपुर(म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

**संदर्भ:** राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वी बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण को Re-visit कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा-11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :-

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में रेत खदान, रकबा 7.0 हे., उत्पादन क्षमता 37,800 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 54, ग्राम मुसामुण्डी, तहसील बजाग, जिला डिण्डोरी (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

1. जिला सहा. खनिज अधिकारी, जिला डिण्डोरी का पत्र क्र. 512 दिनांक 16.11.2022 द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स के.पी. भदौरिया कॉन्ट्रैक्टर, ई-46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के पक्ष से नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शर्मा एसोसिएट, श्री दिनेश सेन आत्मज श्री हल्के प्रसाद सेन निवासी देवरी, तहसील तेन्दूखेड़ा जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु अनापत्ति प्रस्तुत की गई है तथा आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का न्यायालीन वाद-विवाद प्रचलन में नहीं है।

8

- II. मेसर्स शर्मा एसोसिएट, निवासी श्री दिनेश सेन आत्मज श्री हल्के प्रसाद सेन निवासी देवरी, तहसील तेन्दूखेड़ा जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. सीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 437 दिनांक 13.05.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 4300 दिनांक 07.11.2022 के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना मय वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।
- VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी पत्र क्र. 512/खनि/2022 दिनांक 16.11.2022 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) की प्रति।
- VII. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर जारी आसय पत्र क्र. 562/खनि/रेत/2022 दिनांक 06.12.2022 पत्र की प्रति।
- VIII. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी सहा. खनिज अधिकारी, द्वारा पत्र क्र. 561 दिनांक 05.12.2022 एवं 512 दिनांक 16.11.2022 के माध्यम से SEIAA की 717वीं बैठक दिनांक 05.12.2022 के नीतिगत निर्णय कार्यवाही के बिन्दु क्र. 2.1 से 2.4 एवं 2.6 अनुसार चाहीगई प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

खनिज अधिकारी डिण्डोरी द्वारा प्राप्त अभिप्रमाणित जानकारी एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 437 दिनांक 13.05.2021 के माध्यम से मेसर्स के.पी. भदौरिया कॉन्ट्रेक्टर, ई-46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के नाम पर रेत खदान (ओपनकॉस्ट मैनुअल विधि), रकबा 7.0 हे., उत्पादन क्षमता 37,800 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 54, ग्राम मुसामुण्डी, तहसील बजाग, जिला डिण्डोरी (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शर्मा एसोसिएट, पार्टनर श्री दिनेश सेन आत्मज श्री हल्के प्रसाद सेन निवासी देवरी, तहसील तेन्दूखेड़ा जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाता है :-


- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13.05.2021 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।
- II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 37,800 घनमीटर प्रतिवर्ष, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में 40,500 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 40,500 घनमीटर एवं प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 37800 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन. जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 37,800 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण 06 माह में पूर्ण कर SEIAA कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन सहित अवगत कराया जाये, यदि निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- IV. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों



के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

- v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13.05.2021 में निहित शर्तों अनुसार वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. की गतिविधियों का परिपालन प्रथम वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- vi. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
- vii. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशा निर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा समय-समय पर स्थल निरीक्षण किया जायेगा।


अध्यक्ष महोदय, SEIAA द्वारा अनुमोदित

  
(मुजीबुर्रहमान खान)  
सदस्य सचिव

क्र. 2318 /SEIAA/2022  
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक : 14/12/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला डिण्डोरी (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला डिण्डोरी (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीजन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. मेसर्स के.पी. भदौरिया कॉन्ट्रेक्टर, ई-46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
10. खनिज अधिकारी, जिला डिण्डोरी (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

  
(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी